website

नॉर्थ / साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

कार्यालय आदेश संख्या Com/Resolution-84/13 899 दिनांक 11.12.13

विषयः— **एल0टी0आई0एस0—I (Connected Load upto 25 HP)एवं एल0टी0आई0एस0—II (Connected Load above 25 HP and upto 99 HP) उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक मानपठन लेने के संबंध में।**

वर्त्तमान में एल0टी0आई0एस0—I एवं एल0टी0आई0एस0—II. उपभोक्ताओं का मानपठन संबंधित प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियंता द्वारा लिया जाता है। एल0टी0आई0एस0—II श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण कनीय विद्युत अभियंताओं द्वारा इन उपभोक्ताओं का ससमय मानपठन लेने में हो रही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एल0टी0आई0एस0—I एवं एल0टी0आई0एस0—II उपभोक्ताओं के मीटर का मानपठन तत्क्षण प्रभाव से निम्नलिखित प्रकार से लिया जायेगा।

1. एल0टी0आई0एस0—II (Connected Load above 25 HP and upto 99 HP) श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक मानपठन संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियंता द्वारा लिया जायेगा।

2. एल0टी0आई0एस0—I (Connected Load upto 25 HP) श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक मानपठन पूर्व की भाँति संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रशाखा के कनीय विद्युत अभियंता द्वारा लिया जायेगा।

   (i) यदि किसी प्रशाखा में एल0टी0आई0एस0—I श्रेणी के 50 से अधिक उपभोक्ता हैं तो 50 एल0टी0आई0एस0—I श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक मानपठन संबंधित कनीय विद्युत अभियंता द्वारा लिया जायेगा, तथा 50 से उपर उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक मानपठन संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल के सहायक विद्युत अभियंता द्वारा लिया जायेगा।

3. संबंधित सहायक विद्युत अभियंता एवं कनीय विद्युत अभियंता द्वारा एल0टी0आई0एस0 श्रेणी के उपभोक्ताओं के मीटर का मासिक रीडिंग मान—पठन पुस्तिका में दर्ज किया जाएगा तथा इस मानपठन पुस्तिका को समुचित प्रकार से सुरक्षित रखा जायेगा।

ह0 / —

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक 2814 दिनांक 11.12.13

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी,सिवान / छपरा / हाजीपुर / मुजफ्फरपुर / शिवहर / सीतामढ़ी / मोतिहारी / बेतिया / मधेपुरा / सुपौल / सहरसा / पूर्णिया / अररिया / किशनगंज / कटिहार / गोपालगंज / दरभंगा / समस्तीपुर / बेगुसराय / मधुबनी / खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

11/12

प्रबंध निदेशक